फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

गीता पुत्री प्रताप लौहार

बनाम

दिनेशलाल पिता भैरूलाल लौहार वगैरा

प्रकरण संख्या 28/2019 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली वर्ष 2019 से विचाराधीन होकर गैर निगराकार की तामील की स्टेज पर ही लम्बित चल रही है। अधिवक्ता निगराकार द्वारा गैर निगराकारगण की तामील हेतु दिनांक 20.12.2019 के पश्चात् से आदिनांक तक नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है जबकि इस हेतु अधिवक्ता निगराकार को कई बार निर्देशित किया जा चुका है दिनांक 20.12.2019 के पश्चात् अब तक लगभग 21 तारीख पेशियॉं बदली जा चुकी है तथा अधिवक्ता निगराकार को दिनांक 25.08.2022 को न्यायहित में गैर निगराकारगण की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश करने बाबत् अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है फिर भी उनके द्वारा गैर निगराकारगण की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है तथा आज वे न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित भी नहीं हुए है। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	